(115)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक आरएन 556/1995 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–03–1995 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला मंदसौर, प्रकरण कमांक 15/निगरानी/1994–95.

.....

मैसर्स रोम बिल्डर्स
द्वारा :– पार्टनर गोपालकुमार आ0 कोमलरामजी सेठिया
मंदसौर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–जसबंतसिंह आत्मज भेरूलाल रांका
निवासी सराफा बाजार मंदसौर
2–मॉगीलाल पिता मोडराम
3–नाथूलाल पिता मोडराम
4–भूरीबाई पति मोडराम
निवासीगण दशरथ आईल मिल के पास, मंदसौर
5–शासन द्वारा कलेक्टर जिला मंदसौर

..... अनावेदकगण

.....

श्री कमल आंजना, अभिभाषक–आवेदक
श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1 लगायत 4

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 28/11/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–03–1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 द्वारा उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का व्यपवर्तन किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–5–1994 को कथित शर्तो के आधार पर व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की गई । तदोपरांत अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय आवेदक को कर दिया गया और आवेदक द्वारा भी बिना लायसेंस प्राप्त किये कालोनी का निर्माण कर भवनों का विक्रय करना प्रारंभ कर दिया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई । उक्त शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कायम कर आदेश पारित करते हुये अनावेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई और कलेक्टर द्वारा दिनांक 6–3–1995 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभयपक्ष द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया है, अतः निगरानी मेमों में उल्लिखित आधार एवं अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है ।

4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है, अतः उसे कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था ।

(2) मूल प्रकरण संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत विचाराधीन था, परन्तु कलेक्टर द्वारा उससे हटकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 तथा आवेदक द्वारा व्यपवर्तन की शर्तो का उल्लघंन किया गया है, इस कारण भी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) कलेक्टर द्वारा बिना आवेदक सहित अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 को सुनवाई का अवसर दिये बगैर आदेश पारित किया गया है, इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय की शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कि आवेदक द्वारा बिना लायसेंस के कॉलौनी का निर्माण किया जाकर भवनों का विकय किया जा रहा है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत पर विधिवत जॉच नहीं करते हुए शिकायती आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिकता एवं अनियमितता की गई है । इस संबंध में कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में विधिवत वाद बिन्दु निर्धारित किये जाकर विधि के प्रावधानों एवं तथ्यों की विस्तार से विवेचना करते हुए व्यपवर्तन की अनुमति आदेश में उल्लिखित शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है । अतः कलेक्टर द्वारा व्यपवर्तन की अनुमति निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर का आदेश विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–03–1995 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर